::1::

प्ररूप 9

{ नियम 34(3) देखिए }

वर्जीनियां तम्बाकू के संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप

1	आवेदक का नाम	:
2	क्या आवेदक व्यष्टि, भागीदारी फर्म या प्राइवेट अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या सहकारी सोसायटी है	:
3	यदि आवेदक व्यष्टि है तो उसका सनाम, उसके पिता का सनाम और उसका पता और यदि आवेदक भागीदारी फर्म या प्राइवेट अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या सहकारी सोसाइटी है तो ऐसी फर्म, कम्पनी या सोसायटी के कामकाज के भार साधक व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम और पता साथ ही ऐसी फर्म, कम्पनी या सोसायटी का पता दें	
4	उस ग्राम, तालुक, जिला और राज्य का नाम जहां भूमि स्थित है	:
5	क्या आवेदन रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए है	:
6	वर्जीनियां तम्बाकू का संसाधन करने की पद्धति	:
7	आवेदक के पास उपलब्ध संसाधन करने की प्रसुविधाएं	:
8	क्या वह वर्जीनियां तम्बाकू, जिसको संसाधित करने का प्रस्ताव है, उसकी अपनी है या दूसरों की है । यदि दूसरों की तम्बाकू है तो उस व्यक्ति, क्षेत्र और परिमाण के, जिससे हरी पत्तियों को संसाधित किया जाना है, ब्यौरे,	:

9	क्या वर्जीनियां तम्बाकू से भिन्न किसी तम्बाकू को संसाधित करने का प्रस्ताव है ? यदि हां तो किस्म और क्षेत्र उपदर्शित करें ।	:
10	क्या आवेदक को वर्जीनियां तम्बाकू उगाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है । यदि हां तो ब्यौरे दें ।	:
11	रजिस्ट्रीकरण के लिए भेजी गई फीस की रकम (विशिष्टियां दें)	:

मैं/हम सत्य निष्ठा से धोषणा करते हैं कि उपर कथित जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान से सही और ठीक है।

स्थान:

तारीख:

(आवेदक के हस्ताक्षर)